सं.ए-12026/2/2025-प्रशासन

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

राजभाषा खंड

शास्त्री भवन, नई दिल्ली,

दिनांक : 28 अक्टूबर, 2025

सेवा में,

मुख्य सचिव

..................सरकार

विषय: विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के राजभाषा खंड में सहायक (तकनीकी) (हिंदी शाखा) के पद पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती।

महोदय,

मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के राजभाषा खंड में सहायक (तकनीकी) (हिंदी शाखा) के तीन रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर भरा जाना अपेक्षित है। सहायक (तकनीकी) (हिंदी शाखा) का पद सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' (अराजपत्रित) (अनुसचिवीय) के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹35400-112400) से संबंधित है। उक्त पद पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के अधिकारियों में से किया जाना है:-

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; या

(ii) वेतन मैट्रिक्स ₹29200-92300 में लेवल 5 के पद पर छह वर्ष की नियमित सेवा के साथ [ग्रेड वेतन ₹2800 के साथ पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-1 ₹5200-20200] या मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष पद; या

(iii) वेतन मैट्रिक्स ₹25500-81100 में लेवल 4 के पदों पर दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ [ग्रेड वेतन ₹2400 के साथ पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-1, ₹5200-20200] या मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष पद; और

(ख) अनुलग्नक-I में दी गई सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।

नोट 1: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए, दिनांक 1 जनवरी 2016 से पहले या सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना के विस्तार की तिथि से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में संगत स्तर पर की गई सेवा मानी जाएगी, सिवाय उन मामलों के जहाँ एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमानों का वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में समान स्तर वाले एक ग्रेड में विलय हो गया हो, और जहाँ यह लाभ केवल उस पद (पदों) के लिए विस्तारित हो जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में वह स्तर बिना किसी उन्नयन के ग्रेड का सामान्य प्रतिस्थापन है।

नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) जिसमें इस विभाग या किसी अन्य संगठन या केंद्र सरकार के विभाग में नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य बाहय संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. यह अनुरोध है कि निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-II) में उपयुक्त अधिकारियों के आवेदन, जो शैक्षणिक अर्हता और अनुभव को पूरा करते हों और जिनकी सेवाएँ तत्काल प्रदान की जा सकें, इस विभाग को भेजे जाएँ।

3. इच्छुक अधिकारियों के आवेदन पत्र, उनके अद्यतन सी.आर. डोजियर, सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र के साथ, रोजगार समाचार में रिक्ति के प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी के पास (दो प्रतियों में) अलग से पहुँच जाने चाहिए। आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय, यह दर्शाने वाला एक प्रमाण पत्र भी अलग से संलग्न किया जाए कि पिछले दस वर्षों में अधिकारियों पर कोई छोटी/बड़ी शास्ति नहीं लगाई गई है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(पी.सी. मीणा)
निदेशक (प्रशासन)
दूरभाष: 23388007
ईमेल: Prakash.meena@nic.in

प्रतिलिपि: -

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (व्यापक प्रचार हेतु)।
2. उप सचिव (विधि साहित्य प्रकाशन) (व्यापक प्रचार हेतु)।
3. प्रभारी, एनआईसी-प्रकोष्ठ, विधि और न्याय मंत्रालय, से अनुरोध है कि उपर्युक्त परिपत्र को इस मंत्रालय की वेबसाइट के होम पेज पर "रिक्ति परिपत्र" लिंक पर अपलोड करें।
4. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध है कि वे उक्त रिक्ति परिपत्र को प्रचार हेतु अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें।

अनुलग्नक-I

<u>अनिवार्य</u>

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हों, या दोनों में से कोई एक परीक्षा माध्यम और कोई अन्य वैकल्पिक या अनिवार्य विषय हो।

(ii) किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के किसी उच्च शिक्षा संस्थान या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्थान या विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि;

(iii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विधि संबंधी मामलों, या विधिक मामलों के अनुवाद या विधि शिक्षण या विधि प्रशासन में दो वर्ष का अनुभव; या

(iv) एक योग्य विधि व्यवसायी होना चाहिए जिसने दो वर्ष तक इस क्षेत्र में कार्य किया हो; या

(v) केंद्र सरकार या राज्य सरकार/क्षेत्रों में विधियों के प्रारूपण का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(vi) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिंदी माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण।

नोट 1: सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती हैं।

नोट 2: अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में, यदि चयन के किसी भी चरण में, कर्मचारी चयन आयोग की यह राय हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तब अनुभव संबंधी अर्हताओं में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार छूट दी जा सकती हैं।

<u>अनुलग्नक-II</u>

जीवनवृत्त प्रपत्र

1. नाम व पता
(स्पष्ट अक्षरों में):

2. जन्म तिथि
(ईसवी सन् में):

3. i] केन्द्र/राज्य सरकार के नियमानुसार सेवानिवृत्ति की तिथि:

4. शैक्षिक अर्हताएं:

5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं पूरा करते हैं।
(यदि किसी अर्हता को नियमों के अनुरुप समकक्ष माना गया है तो
उसके प्राधिकार का उल्लेख करें।)

	अपेक्षित अर्हताएं/ अनुभव	अधिकारी द्वारा धारित अर्हताएं/ अनुभव
अनिवार्य	**1)**	
	2)	
	3)	
वांछनीय	**1)**	
	2)	

6. कृपया स्पष्टतया बताएं कि क्या आपके द्वारा की गई उपर्युक्त प्रविष्टियों के प्रकाश में आप पद के लिए अपेक्षाओं को पूरा करते हैं-

7. नियोजन का कालक्रमानुसार विवरण। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है, तो अपने हस्ताक्षर से विधिवत् प्रमाणित अलग शीट सलंग्न करें।

कार्यालय/संस्थान	धारित पद	कब से	कब तक	धारित पद का वेतनमान और मूल वेतन	कार्य की प्रकृति (विस्तार से)

8. वर्तमान नियोजन की प्रकृति अर्थात तदर्थ या अस्थायी या अर्धस्थायी या स्थायी-

9. यदि वर्तमान नियोजन की प्रकृति प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर है, तो कृपया बताएं-

(क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि

(ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि-

(ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम, जिससे संबंधित हैं-

10. वर्तमान नियोजन के संबंध में अतिरिक्त विवरण

कृपया बताएं कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं (उपर्युक्त कॉलम के समक्ष अपने नियोक्ता का नाम इंगित करें)

(क) केंद्र सरकार

(ख) राज्य सरकार

(ग) स्वायत संगठन

(घ) सरकारी उपक्रम

(ड़) विश्वविद्यालय

(च) अन्य

11. कृपया बताएं कि आप इसी विभाग में कार्यरत फीडर ग्रेड में हैं और फीडर से फीडर ग्रेड में कार्यरत हैं-

12. क्या आप संशोधित वेतनमान के अन्तर्गत
आते हैं? यदि हां, तो वह तिथि लिखें
जबसे संशोधन प्रभावी हुआ तथा साथ ही
संशोधन पूर्व वेतनमान भी लिखें -

13. वर्तमान समय में प्रति माह प्राप्त कुल परिलब्धियां

14. अतिरिक्त सूचनाएं, यदि कोई हो, जिनका उल्लेख आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में करना चाहें।

(इसमें अन्य बातों के साथ निम्न के संबंध में सूचना दी जा सकती है :

(i) अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताओं

(ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा

(iii) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में निर्दिष्ट से अधिक कार्य अनुभव।

(नोट :- यदि स्थान अपर्याप्त है तो अलग शीट संलग्न करें)

15. कृपया बताएँ कि क्या आप प्रतिनियुक्ति
(आईएसटीसी)/आमेलन/पुनर्नियोजन आधार पर
आवेदन कर रहे हैं (केंद्र/राज्य सरकारों के
अधिकारी केवल "आमेलन" के लिए पात्र हैं।
गैर-सरकारी संगठनों के उम्मीदवार
केवल अल्पकालिक अनुबंध के लिए पात्र हैं)।

16. क्या आप अ.जा./ अ.ज.जा. से हैं -

17. टिप्पणियां : उम्मीदवार कृपया निम्नलिखित के बारे में सूचना प्रदान करेः

(i) शोध पत्रों का प्रकाशन तथा रिपोर्ट एवं विशिष्ट परियोजनाएं

(ii) पुरस्कार/ छात्रवृत्ति/ शासकीय सम्मान

(iii) व्यावसायिक निकाय/ संस्थान/ समितियों के साथ संबंधता तथा

(iv) कोई अन्य सूचना

(नोट :- यदि स्थान अपर्याप्त है तो अलग शीट संलग्न करें)

मैंने पूरा रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन ध्यान से पढ़ा है तथा मैं इस बात से पूर्ण रुप से अवगत हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया जीवनवृत तथा उसके समर्थन में दिए गए दस्तावेज, पद हेतु चयन के समय चयन समिति द्वारा भी जांचे जाएंगे। मेरे द्वारा दी गयी सूचना/ ब्योरे सही हैं तथा मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं तथा मेरे चयन से संबंधित कोई भी आवश्यक तथ्य छिपाया/दबाया नहीं गया है।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

दिनांक :

पताः...

....

प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा दिए गए विवरण सही हैं। यदि उनका चयन होता है तो उन्हें तत्काल कार्यभार मुक्त कर दिया जाएगा।

प्रतिहस्ताक्षरित

(विभागाध्यक्ष/ सक्षम प्राधिकारी)